

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- पं.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/16251

दिनांक:- 21/07/17

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गिय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री ओम प्रकाश विश्‍नोई	कनिष्ठ लिपिक	जालौर	जोधपुर
02.	श्रीमती साधना गुप्‍ता	कनिष्ठ लिपिक	फुलेरा	जयपुर
03.	श्री जगदीश	कनिष्ठ लिपिक	बिलाडा	सोजत

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 21/07/17

क्रमांक : पं.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/17/16252-16267

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद्/पालिका/जयपुर/जोधपुर/जालौर/बिलाडा/सोजत।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव